

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठारसीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार गीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 06/2025

दायर दिनांक 10.01.2025

उन्वान

1. भगवतीप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण नि. रायपुर तहसील रायपुर
- वादी

बनाम

1. बनेसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत नि. कुटकी तहसील रायपुर
2. भगवानसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत नि. कुटकी तहसील रायपुर
3. मेहरबानसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत नि. कुटकी तहसील रायपुर
4. शीलाबाई पत्नि नन्दकिशोर जाति कुम्हार नि. रायपुर तहसील रायपुर
5. विष्णुप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण नि. रायपुर तहसील रायपुर
6. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा झालावाड़ जिला झालावाड़
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर .

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपरिस्थिति विद्वान अभिभाषकगण-

अभिभाषक वादी - श्री मोहम्मद अल्लाफ मेव

प्रतिवादी सं. 1 से 5 - शहजादी गौरी

प्रतिवादी सं. 6 - एकतरफा

प्रतिवादी सं. 7 - परोकार सरकार



निर्णय

दिनांक 29.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपरिस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम रायपुर तहसील रायपुर खाता संख्या 539 की आराजी ख.न. 1799 रकबा 0.6829 है., खाता संख्या 538 की आराजी ख.न. 1802 रकबा 0.5691 है., खाता संख्या 542 की आराजी ख.न. 1817 रकबा 0.3794 है.

उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

खाता संख्या 540 आराजी ख.न. 1816 रकबा 0.2276 है. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.07.2025 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा कास्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/1038 दिनांक 18.08.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण उभयपक्ष की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम रायपुर तहसील रायपुर खाता संख्या 539 की आराजी ख.न. 1799 रकबा 0.6829 है., खाता संख्या 538 की आराजी ख.न. 1802 रकबा 0.5691 है., खाता संख्या 542 की आराजी ख.न. 1817 रकबा 0.3794 है. व खाता संख्या 540 आराजी ख.न. 1816 रकबा 0.2276 है. भूमि में तहसीलदार रायपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है। पक्षकारान का रहन यथावत दर्ज रहेगा।



क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	भगवतीप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहामण नि. रायपुर	1799	0.6829	
2	बनेसिंह पुत्र मानसिंह हि. 1/3 रहन UBI झालावाड भगवानसिंह पुत्र मानसिंह हि. 1/3 रहन UBI झालावाड मेहरबानसिंह पुत्र मानसिंह हि. 1/3 रहन UBI झालावाड जाति राजपूत .नि. कुटकी	1802	0.5691	
3	शीलाबाई पत्नि नन्दकिशोर जाति कुम्हार नि. रायपुर	1817 1816/1	0.3794 0.1138	
		किता 2	0.4932	

4

उपखण्ड अधिकारी


पिड़ावा, जिला झालावाड (राज०)

4	विष्णुप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण नि. रायपुर	1816/2	0.1138	
---	--	--------	--------	--

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।
फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले
न्यायालय में सुनाया गया।




29/08/25
(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राजस्थान
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

फाईनल डिक्री मुकदमा इबादाई
(ओ० 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार भीणा आर०ए०एस०
प्रकरण संख्या 06/2025 दायर दिनांक 10.01.2025

उनवान

1. भगवतीप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण नि. रायपुर तहसील रायपुर
– वादी

बनाम

1. बनेसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत नि. कुटकी तहसील रायपुर
2. भगवानसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत नि. कुटकी तहसील रायपुर
3. मेहरबानसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत नि. कुटकी तहसील रायपुर
4. शीलाबाई पत्नि नन्दकिशोर जाति कुम्हार नि. रायपुर तहसील रायपुर
5. विष्णुप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण नि. रायपुर तहसील रायपुर
6. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा झालावाड़ जिला झालावाड़
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर .

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण–

अभिभाषक वादीया – श्री मोहम्मद अल्ताफ मेव
प्रतिवादी सं. 1 से 5 – शहजादी गौरी
प्रतिवादी सं. 6 – एकतरफा
प्रतिवादी सं. 7 – परोकार सरकार



मिनजानित मुदई रूबरूX.....मिनजाबिन

मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि – इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम रायपुर तहसील रायपुर खाता संख्या 539 की आराजी ख.न. 1799 रकबा 0.6829 है., खाता संख्या 538 की आराजी ख.न. 1802 रकबा 0.5691 है., खाता संख्या 542 की आराजी ख.न. 1817 रकबा 0.3794 है. व खाता संख्या 540 आराजी ख.न. 1816 रकबा 0.2276 है. भूमि में तहसीलदार रायपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये

[Handwritten Signature]

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः यादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है। पक्षकारान का रहन यथावत दर्ज रहेगा।

क्र.	खातोदार का नाम	खतबे	रकबा है,	किम्प
1	भगवतीप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण नि. रायपुर	1799	0.6829	
2	बनेसिंह पुत्र मानसिंह हि. 1/3 रहन UBI झालावाड भगवानसिंह पुत्र मानसिंह हि. 1/3 रहन UBI झालावाड मेहरवानसिंह पुत्र मानसिंह हि. 1/3 रहन UBI झालावाड जाति राजपूत नि. कुटकी	1802	0.5831	
3	शीलावाई पत्नि नन्दकिशोर जाति कुम्हार नि. रायपुर	1817 1816/1	0.3794 0.1138	
		किता 2	0.4932	
4	विष्णुप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण नि. रायपुर	1816/2	0.1138	

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा) उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा जिला झालावाड राज०

निजX.....मुबालिकX..... बाबत खर्चा इस मुकदमें के सूद बशरह
.....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 29.08.2025, को जारी किया गया।

(रामनाथ) उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा जिला झालावाड राज०

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमि नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमि नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	



(रामनाथ) उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा जिला झालावाड राज०